

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :14/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/16)

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|--|------|--|
| 1. रमनप्रीत सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर। | | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

तारीख रजू:-17.01.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—निर्णय—

दिनांक :20.01.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/59 के मुरब्बा नम्बर 66, 72, 73 की कुल 10.661 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम संयुक्त खाता में भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में मु0न0 73 का किला न0 1/0.164, 2/0.253, 3/0.253, 6/0.253,7/0.253, 8/0.253, 9/0.215, 10/0.013, 12/0.050, 13/0.240, 14 ता 17 (सालम), 18/0.101, 24/0.139, 25/0.063 कुल 3.262 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/59 के मुरब्बा नम्बर 73 के किला नम्बर 1 की 0.164, किला नम्बर 2 की 0.253, किला नम्बर 3 की 0.253, किला नम्बर 6 की 0.253, किला नम्बर 7 की 0.253, किला नम्बर 8 की 0.253, किला नम्बर 9 की 0.215, किला नम्बर 10 की 0.013, किला नम्बर 12 की 0.050, किला नम्बर 13 की 0.240, किला नम्बर 14 ता 17 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 18 की 0.101, किला नम्बर 24 की 0.139, किला नम्बर 25 की 0.063 कुल 3.262 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 477 दिनांक 05.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/59 के मुरब्बा नम्बर 73 के किला नम्बर 1 की 0.164, किला नम्बर 2 की 0.253, किला नम्बर 3 की 0.253, किला नम्बर 6 की 0.253, किला नम्बर 7 की 0.253, किला नम्बर 8 की 0.253, किला नम्बर 9 की 0.215, किला नम्बर 10 की 0.013, किला नम्बर 12 की 0.050, किला नम्बर 13 की 0.240, किला नम्बर 14 ता 17 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 18 की 0.101, किला नम्बर 24 की 0.139, किला नम्बर 25 की 0.063 कुल 3.262 हैक्टेयर बारानी भूमि जगदीप कौर पत्नी रमनप्रीत सिंह जाति जटसिख वगैरह के नाम दर्ज है। मुताबिक सीसीए रिकार्ड एवं सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड श्रीकरणपुर के पत्रांक 1777 दिनांक 24.12.2024 अनुसार चक 34 एफ का मु0न0 न0 73 नहरी 69 सीसीए रिकार्ड एवं चक प्लान 35 एफ में शामिल है। एवं मु0न0 न0 60 दर्ज है। जिसमें 23 बीघा 07 बिस्वा रकबा कमाण्ड है। जो कि चक 34 एफ की जमाबंदी संवत 2076-79 खाता संख्या 68 के मु0न0 73 का किला न0 1/0.164, 2/0.253, 3/0.253, 6/0.253,7/0.253, 8/0.253, 9/0.215, 12/0.050, 13/0.240, 14 ता 17 (सालम), 18/0.101, 24/0.139, 25/0.063 कुल 3.249 है0 (12 बीघा 17 बिस्वा) कमाण्ड है। अतः चक 34 एफ की जमाबंदी संवत 2076 ता 2079 खाता संख्या 68 के मु0न0 73 का किला न0 1/0.164, 2/0.253, 3/0.253, 6/0.253,7/0.253, 8/0.253, 9/0.215, 12/0.050, 13/0.240, 14 ता 17 (सालम), 18/0.101, 24/0.139, 25/0.063 कुल 3.249 हैक्टेयर बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आवंटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि के सबध में पटवार मण्डल अरायण के चक 34 एफ की जमाबंदी संवत 2076-79 खाता संख्या 68 के मु0न0 73 का किला न0 1/0.164, 2/0.253, 3/0.253



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

,6/0.253,7/0.253, 8/0.253, 9/0.215, 12/0.050, 13/0.240, 14 ता 17 (सालम),
18/0.101, 24/0.139, 25/0.063 कुल 3.249 है0 (12 बीघा 17 बिस्वा) की 1225 गुणा
12.85 = 15742/- रुपये एवं नियमानुसार ब्याज जमा करवाया जाना है।

3. वहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की वहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/59 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, पानी की पर्ची की प्रति, चक 34 एफ के सीसीए चक प्लान की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/59 के मुरब्बा नम्बर 73 के किला नम्बर 1 की 0.164, किला नम्बर 2 की 0.253, किला नम्बर 3 की 0.253, किला नम्बर 6 की 0.253, किला नम्बर 7 की 0.253, किला नम्बर 8 की 0.253, किला नम्बर 9 की 0.215, किला नम्बर 10 की 0.013, किला नम्बर 12 की 0.050, किला नम्बर 13 की 0.240, किला नम्बर 14 ता 17 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 18 की 0.101, किला नम्बर 24 की 0.139, किला नम्बर 25 की 0.063 कुल 3.262 हैक्टेयर वारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर सीसीए रिकार्ड एवं सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड श्रीकरणपुर के पत्रांक 1777 दिनांक 24.12.2024 अनुसार चक 34 एफ का मु0न0 73 नहरी 69 सीसीए रिकार्ड एवं चक प्लान 35 एफ में शामिल है। एवं चक 34 एफ का मु0न0 न0 60 दर्ज है। जिसमे 23 बीघा 07 बिस्वा रकबा कमाण्ड है। जो कि चक 34 एफ की जमाबंदी संवत 2076-79 खाता संख्या 68 के मु0न0 73 का किला न0 1/0.164, 2/0.253, 3/0.253, 6/0.253,7/0.253, 8/0.253, 9/0.215, 12/0.050, 13/0.240, 14 ता 17 (सालम), 18/0.101, 24/0.139, 25/0.063 कुल 3.249 है0 (12 बीघा 17 बिस्वा) कमाण्ड है। अतः चक 34 एफ की जमाबंदी संवत 2076 ता 2079 खाता संख्या 68 के मु0न0 73 का किला न0 1/0.164, 2/0.253, 3/0.253, 6/0.253,7/0.253, 8/0.253, 9/0.215, 12/0.050, 13/0.240, 14 ता 17 (सालम), 18/0.101, 24/0.139, 25/0.063 कुल 3.249 हैक्टेयर वारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र, वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

--:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/59 के मुरब्बा नम्बर 73 के किला नम्बर 1 की 0.164, किला नम्बर 2 की 0.253, किला नम्बर 3 की 0.253, किला नम्बर 6 की 0.253, किला नम्बर 7 की 0.253, किला नम्बर 8 की 0.253, किला नम्बर 9 की 0.215, किला नम्बर 10 की 0.013, किला नम्बर 12 की 0.050, किला नम्बर 13 की 0.240, किला नम्बर 14 ता 17 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 18 की 0.101, किला नम्बर 24 की 0.139, किला नम्बर 25 की 0.063 कुल 3.262 हैक्टेयर वारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जावता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{शयोराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवार उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इंजलास सुनाया गया।

{शयोराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवार उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

रमनप्रीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए

मुकदमा नम्बर 14/2024

निर्णय दिनांक :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/59 के मुर्ब्बा नम्बर 73 के किला नम्बर 1 की 0.164, किला नम्बर 2 की 0.253, किला नम्बर 3 की 0.253, किला नम्बर 6 की 0.253, किला नम्बर 7 की 0.253, किला नम्बर 8 की 0.253, किला नम्बर 9 की 0.215, किला नम्बर 10 की 0.013, किला नम्बर 12 की 0.050, किला नम्बर 13 की 0.240, किला नम्बर 14 ता 17 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 18 की 0.101, किला नम्बर 24 की 0.139, किला नम्बर 25 की 0.063 कुल 3.262 हैक्टेयर बरानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की अन्तरराशि की गणना कर राजकोष में जमा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 20.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

| मुददई | रुपया | पैसा | मुदायली | रुपया | पैसा |
|-------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जादावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 00 | 00 |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | 00 |
| योग | 02 | 00 | योग | 00 | 00 |

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

क्रमांक: रीडर/2024/34

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर